भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3149

सोमवार, 15 मार्च, 2021 / 24 फाल्गुन, 1942 (शक)

प्रवासी कामगारों को मुआवजा

3149. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लॉकडाउन के कारण अपनी जानें गंवाने वाले प्रवासी कामगारों के परिवारों को कोई आर्थिक मुआवजा प्रदान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और कितना मुआवजा दिया गया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में 17 आकस्मिक मौतों को छोड़ कर अंडमान एंव निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड से किसी भी प्रवासी कामगार की मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। कुछ राज्यों में आर्थिक मुआवजा भी प्रदान किया गया है। हालांकि शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संपूर्ण आंकड़ों की प्राप्ति पर सूचना संसद पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

*****